भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई.सं. ....../99

सं0 पी.सी-III/92/सीटीसी-1/2

नयी दिल्ली, दि0 8.7.99

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

विषयः- 1995 की सिविल अपील सं0 4174-82 (अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा अन्य बनाम सी.आर.रंगाधमैयूया और अन्य) तथा अन्य संबद्ध विशेष अनुमति याचिकाएं.

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 14.10.97 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है.

2. विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है जो बोर्ड के दिनांक 14.10.97 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों को कार्यान्वित करते समय उनके समक्ष आ रही हैं. यह रिपोर्ट किया गया है कि अधिकतर मामलों में संबंधित रिकार्ड, मुख्यतः रनिंग भत्ते से संबंधित रिकार्ड, उपलब्ध नहीं है और कुछ अन्य मामलों में जहां ये रिकार्ड उपलब्ध हैं वहां दिनांक 14.10.97 के आदेशों को कार्यान्वित करने के कारण संबंधित रनिंग कर्मचारी की पेंशन तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभों में कटौती हो रही है. रेलों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि 1.4.79 से रनिंग कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों की गणना करने के प्रयोजन के लिए रनिंग कर्मचारी द्वारा लिए गए रनिंग भत्ते की राशि को हिसाब में लेने की कोई आवश्यकता नहीं रही है. इसके अलावा, रिकार्डों को सुरक्षित रखने से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन बिलों, जिनमें भुगतान किए गए रनिंग भत्ते का ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है, को केवल 10 वर्ष की अवधि तक ही सुरक्षित रखा जाता है.

3. तदनुसार मामले की जांच की गई है. बोर्ड ने नोट किया है कि रनिंग भत्ते के रिकार्ड उपलब्ध न होने संबंधी कठिनाई के कारण उपर्युक्त विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने में बेहद बाधाएं आ रही हैं.

4. मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर बोर्ड द्वारा विधि सलाहकार के परामर्श से ध्यानपूर्वक विचार किया गया है. दिनांक 14.10.97 के उपर्युक्त पत्र के पैरा 2(i) में

अंतर्विष्ट अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उन रनिंग कर्मचारियों, जो 1·1·73 से 4·12·88 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं और जो उपर्युक्त सिविल अपील/विशेष अनुमति याचिका में शामिल हैं, तथा इसी तरह के अन्य कर्मचारियों की पेंशन तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभों की पुनर्गणना करने के प्रयोजनार्थ, उनके द्वारा प्राप्त किए गए रनिंग भत्ते की वास्तविक राशि को ध्यान में रखे बिना, उनके लिए उन अन्य 75% परिलब्धियों को हिसाब में लिया जाए जो नियम 2544 आर-11 में निर्धारित थी और उस समय लागू थी जब तक इस नियम को दिनांक 5·12·98 की अधिसूचना द्वारा संशोधित नहीं किया गया था·

5· यह वांछा की जाती है कि बोर्ड के दिनांक 14·10·97 के पत्र के अनुसार तथा उपर्युक्त पैरा 4 में अंतर्विष्ट निर्णय के अनुसार जहां कहीं देय हो भुगतान करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए·

6· इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है·

7· कृपया पावती दें·

के०जे०अब्राहम

{के·जे·अब्राहम}
संयुक्त निदेशक, स्था·{पीएंडए}
रेलवे बोर्ड·

सं0 पी·सी-111/92/सीठेसी-1/2 नयी दिल्ली, दि0 8·7·99

प्रतिलिपि : वित्त एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयों को अग्रेषित·

के०जे०अब्राहम

{के·जे·अब्राहम}
संयुक्त निदे·, स्था·{पीएंडए}
रेलवे बोर्ड·

सं0 पी·सी-111/92/सीवेसी-1/2 नयी दिल्ली, दि0 8·7·99

प्रतिलिपि डीएआई{रेलें} नई दिल्ली को {80 अतिरिक्त प्रतियों सहित}·

एस०श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त/रेलें·

सं0 पी·सी-111/92/सीवेसी-1/2 नयी दिल्ली, दि0 8·7·99

प्रतिलिपि फेडरेशनों आदि को अग्रेषित·

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड·

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No.164/99

No.PC-III/92/CTC-1/2 New Delhi, dated: 8-7-1999.

The General Managers/OSDs/CAO(R)s,
All Indian Railways & Production Units.

Subject : Civil Appeal Nos.4174-82 of 1995 (Chairman, Railway Board and others Versus C.R. Rangadhamaiah and others) and other tagged SLPs.

*****

Attention is invited to Board's letter of even number dated 14-10-1997 on the above subject.

2. References have been received from various Zonal Railways outlining the difficulties faced by them in the implementation of the instructions contained in Board's letter dated 14-10-1997 ibid. It has been reported that in a large number of cases, relevant records, most prominently the records of running allowance, are not available and that in a few other cases where records are available, implementation of the orders dated 14-10-1997 is leading to reduction in the pension and other retiral benefits of the concerned Running staff. It has also been pointed out by the Railways that since 1-4-1979, there has been no requirement of referring to the amount of running allowance actually drawn by the Running staff for the purpose of computation of retirement benefits of Running staff. Moreover, in terms of the guidelines for preservation of records, pay bills which contain details of the amount of Running allowance paid, are to be preserved for a period of 10 years only.

3. The matter has accordingly been examined. The Board have noted that difficulties related to non-availability of records pertaining to running allowance are badly hampering the implementation of Hon'ble Supreme Court's orders on the subject.

4. Taking all aspects of the matter into account, the matter has been considered carefully by the Board in consultation with the Legal Advisor. In partial modification of the instructions contained in Para 2(i) of the above letter dated 14-10-1997, it has been decided that for the purpose of recomputation of pension and other retiral benefits of the Running staff who retired during the period from 1-1-1973 to 4-12-1988 and were involved in the above Civil Appeals/SLPs as well as other similarly placed employees, 75% of other emoluments, as prescribed in Rule 2544 R.II as was in force before it was amended by the notification dated 5-12-1988, may be reckoned without reference to the actual amount of running allowance drawn by them.

5. It is desired that immediate necessary action may be taken to arrange payments wherever due in light of Board's letter dated 14-10-1997 and the decision contained in Para 4 above.

.....2/-

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

7. Kindly acknowledge receipt.

(K.J.Abraham)
Jt Dir/Estt(P&A),
Railway Board.

No.PC-III/92/CTC-1/2 **New Delhi, dated : 8 -7-1999.**

Copy forwarded to the FA&CAOs, All Indian Railways & Prod. Units.

(K.J.Abraham)
Jt Dir/Estt(P&A),
Railway Board.

No.PC-III/92/CTC-1/2 **New Delhi, dated : 8 -7-1999.**

Copy (with 80 spares) to the DAI(Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways.

No.PC-III/92/CTC-1/2 **New Delhi, dated : 8 -7-1999.**

Copy forwarded to the Federations etc.

for Secretary/Railway Board.

Copy to :

PPSs/PSs/PAs to :- MR, MOS(R), CRB, FC, ME, ML, MM, MT, MS, AM(F), AM(L), AM(ME), AM(S), AM(PU&WT), AM(MS), OSD/Accounts, Secretary, EDE, EDPC-I, EDPC-II, EDE(N), EDE(RRB), EDE(Res), EDE(IR), EDEE(RS), EDME(TR), EDME(W), ED(S&T), ED(S&E), JS(G), JS, DF(E), DPC, JDE(P&A), DE(N), JDPC, JDF(E), JDE(L), JDE(LL), JDE(W), DS(G), US(A), DDF(E)I, DDF(E)II, DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(R)II (with 2 spares).

Branches : E(P&A)I, PC-III, PC-IV, PC-V, Cash-II, Cash-III, Cash-IV, F(E)I, F(E)II, F(E)III, F(E)Spl., Acts-III (with 10 spares), ERB-II, ERB-III, ERB-IV, ERB-V, E(LR)II, E(LR)III, E(W), E(NG)I, E(NG)II, E(MPP), E(REP)I, E(REP)II, E(REP)III.

****